न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2021 / 231

1. नरेश कुमार पुत्र सीताराम उम्र व्यस्क निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र नौरंगलाल, जाति मेघवाल, निवासी बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. मुन्नीदेवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति कुमावत, निवासी बाकरा, तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार झुन्झुनू।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. **श्री विनोद कुमार गिल एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री द्वारका प्रसाद वर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 23.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि संपरिवर्तन आदेश खसरा नम्बर 1866 / 807 रकबा .20 हैक्टयर आदेश क्रमांक 358 / 361 दिनांक 02.03.2007 जिसके बाबत अपीलार्थी ने पोर्टल पर शिकायत की, उक्त भूमि पूर्व में अनुसूचित जाति के महेन्द्र कुमार के नाम थी जिसको किस्म परिर्वतन करवाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मुन्नीदेवी ने खरीद लिया तथा उक्त भूमि को खातेदारी की भूमि के रूप में काम में लिया जा रहा है, उक्त शिकायत के पश्चात् दिनांक 12.03.2020 को पटवारी रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें चारो खसरा नम्बर 1868 / 807, 1866 / 807, 1867 / 807, 1944 / 807 को सम्मलित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत। चारों खसरा नम्बर को एक साथ करके सम्पूर्ण भूमि के चारदीवारी बनायी हुई है, खसरा नम्बर 1868 / 807 में बोरवेल बना हुआ है, कृषि श्रेणी में विधुत कनेक्शन है, शेष भूमि में चना व कासनी की फसल बोई हुई थी जिसके फोटोग्राफ भी पेश किये, तत्पश्चात् तहसीलदार के साथ पुनः मौका देखा गया तब पाया कि खड़ी फसली को खुर्द—बुर्द कर दिया गया था तथा चारों कोनों पर टीनसैड डालकर भूमि का स्वरूप बदलने का प्रयास किये गया जिसकी फोटो सलंग्न दिनांक 12.03.2020 की रिपोर्ट में स्पष्ट दर्ज है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि भू रूपान्तरण मात्र अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को स्वर्ण जाति को बेचान करने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.03.2020 की रिपोर्ट को विश्वसनीय माना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील को खारिज करने में अहम कानूनी भूल कारित की है।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.12.2020 की रिपोर्ट व दिनांक 12.03.2020 की रिपोर्ट को विरोधाभाषी मानने में गलती कानूनी की है क्योंकि दिनांक 12.03.2020 की रिपोर्ट मय फोटो आयी हुई है, दुबारा जॉच के समय तहसीलदार साथ थे इसलिये दिनांक 12.03.2020 की रिपोर्ट के आधार आदेश पारित किया जाना चाहिये था। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने अपीलार्थी की अपील को खारिज किया है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को प्रकरण में संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 14 एवं अन्य उपबन्धों के तहत रिकार्ड व मौके की जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु रिमाण्ड भी किया गया है जो निर्णय विरोधाभाषी है क्योंकि कानूनन अपील स्वीकार होने पर ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का निर्णय खारिज करने के उपरान्त जॉच हेतु रिमाण्ड किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा भूमि खसरा नम्बर 1866/807 रकबा .20 हैक्टयर को राज्य सरकार में निहित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कथन किया है कि प्रकरण में अपीलान्ट किसी भी तरह प्रभावित पक्षकार नही है इसलिये अपीलार्थी की अपील बिना किसी लोकस स्टेण्डाई के चलने योग्य नही है। अतः अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

का निर्णय खारिज करने के उपरान्त जॉच हेतु रिमाण्ड किया जा सकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिविक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट की लोकस के बारे में तर्क किये गये थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील पर ही प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलान्ट की लोकस स्टेण्डाई की बजायी प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित होगा। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.03.2020 एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.12.2020 के तथ्य उपलब्ध रहे है और उक्त दोनों रिपोर्टस एक दुसरे के विरोधाभाषी रिपोर्ट होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्ष 2007 से 2020 तक वादग्रस्त भूमि पर किसी तरह का निर्माण हुआ है या नही जिसकी जॉच अपेक्षित मानते हुये प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को रिमाण्ड किया गया है और अपीलान्ट की अपील को भी खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2021 तकनीकी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित

P.T.O.

अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2021 एवं तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 14 एवं अन्य उपबन्धों के तहत रिकार्ड व मौके की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त, 23/12/2
जयपुर।